

अदालत
अहकाम
(नियम 26)

गुणेशाराम पुत्र हरधारा
जाति मेधवाल निवासी
हरदाल सर तह. सिणधरी
जि. बालोतर

बनाम

दुर्गाराम पुत्र हरदानराम जाति
मेधवाल निवासी हरदालसर
तह. सिणधरी जिला
बालोतर

मुकदमा संख्या

239/2025

तारीख हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हए
---------------	---

08/10/25

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री पाण्डुराम मेधवाल अन्तर्गत धारा 111.128 राजस्थान क्र. 2 अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 18/11/25 को पेश हो।

रणधी
उपखण्ड अधिकारी

पुनः

पाण्डुराम मेधवाल सिणधरी 30.10.25 को

रणधी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

30.10.2025

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण सीमाज्ञान की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।



लिहाजा प्रार्थी का आवेदन बाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के पुनः बरामद करवाये जाने के हको को सुरक्षित रखते हुए आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दपतर हो।

रणधी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी